झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

बी0 ए0 संख्या–27 / 2020

आनन्द कुमार साहु .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पक्ष

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्त्ता के लिए: श्री के0एस0 नन्दा, अधिवक्ता।

विपक्षी पक्ष के लिए : ए0पी0पी0।

आदेश सं0 02 दिनांक 28वीं जनवरी, 2020

याचिकाकर्त्ता की ओर से उपस्थित हो रहे विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से उपस्थित हो रहे विद्वान ए0पी0पी0 को सुना।

याचिकाकर्त्ता सिसई थाना काण्ड संख्या 146 / 2019 जो विद्वान सत्र न्यायाधीश, गुमला के समक्ष लम्बित है, के संबंध में एक अभियुक्त है।

एक सूरज कुमार को चारी की मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा गया। उसने यह कहा है कि उसने याचिकाकर्त्ता को आग्नेयास्त्र बेचा था जो गांजा का भी कारोबार करता था। यह आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्त्ता की जाँच करने पर उसके पास से एक देशी पिस्तौल और 500 ग्राम गांजा पाया गया।

याचिकाकर्त्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप की प्रकृति के अन्तर्गत, मैं याचिकाकर्त्ता को जमानत देने के लिए इच्छुक नहीं हूँ। याचिकाकर्त्ता द्वारा की गई जमानत के लिए प्रार्थना को इस स्तर पर खारिज कर दिया गया है।

ह0

(रोंगन मुखोपाध्याय, न्याया0)